प्रेस विज्ञप्ति

05.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने लक्ष्मी कॉटसिन बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड से संबंधित 31.94 करोड़ रुपये मूल्य की 86 भूमि (73.34 हेक्टेयर) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां कृषि भूमि के रूप में छत्तीसगढ़ के भाटापारा और बलौदा बाजार में स्थित हैं। ये सभी संपत्तियां या तो कंपनी या भरोसेमंद कर्मचारियों और अन्य भोले-भाले व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं।

ईडी ने श्री राजीव खुराना, डीजीएम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसएएम ब्रांच, 5, जीवन तारा, बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांक 01.06.2021 की 1) मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 19/एक्स-1, कृष्णा पुरम, जीटी रोड, कानपुर 208007 (यूपी) में है; (2) डॉ. माता प्रसाद अग्रवाल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; (3) पवन कुमार अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; (4) देवेश नारायण गुप्ता, उप प्रबंध निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड; (5) श्रीमती शारदा अग्रवाल, निदेशक मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के विरुद्ध लिखित शिकायत के आधार पर भा.दं.सं, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसी-V, के.अं.ब्यू., नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर 2010 से 2018 की अवधि के दौरान सार्वजनिक धन के विपथन/गबन के लिए धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी, खातों में हेराफेरी और आपराधिक कदाचार करने का आरोप है।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी कंपनी मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड ने मिश्रित सूटिंग और शर्टिंग, रजाई वाले कपड़े, डेनिम कपड़े, तकनीकी वस्त्र कपड़े आदि के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 23 बैंकों के संघ से संपर्क किया। वित्तीय अनुशासन का पालन न करने के कारण खातों को आईआरएसी मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फोरेंसिक ऑडिट में यह पता चला कि आरोपी कंपनी ने ऋण समझौते की शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया।

फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि कंपनी ने इन्वेंट्री रिकॉर्ड में वृद्धि की, नीलामी प्रक्रिया को अनुचित तरीके से आयोजित किया, और अज्ञात संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण बिक्री की। आरोपी कंपनी के पास औपचारिक छूट नीति का अभाव था, लेकिन उसने कुल मिलाकर महत्वपूर्ण छूट प्रदान की संबंधित पक्षों, संभावित रूप से अज्ञात पक्षों, तथा विभिन्न उद्योगों के ग्राहकों, साथ ही बिक्री चालानों में सूचीबद्ध पतों पर मौजूद गैर-मौजूद ग्राहकों को 207.29 करोड़ रुपये दिए गए। आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों को बिना किसी सहायक दस्तावेज के बट्टे खाते में डाल दिया गया, जो कि इन लेनदेनो में धन के विचलन/गबन को दर्शाता है।

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलटी) के निर्देशों के तहत कंपनी मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन का परिसमापन किया गया और ऋण वसूली के लिए आरपी द्वारा लगभग 265.44 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची गई।

इसके अलावा जांच के दौरान पाया गया कि मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड की कुछ धनराशि को अन्य समूह कंपनी मेसर्स श्री लक्ष्मी पावर लिमिटेड में अंतरित कर दिया गया था। इन धनराशियों को आगे बलौदा बाजार में उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते के माध्यम से अलग-अलग व्यक्तियों के पास भेज दिया गया और बाद में इन धनराशियों का उपयोग कंपनी के विश्वसनीय कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ के भोले-भाले आदिवासी लोगों के नाम पर भूमि के रूप में अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया।

यह मामला 7377 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि से संबंधित है, जिसे भा.रि.बैं. द्वारा पहले ही गबन घोषित किया जा चुका है और आरोपी कंपनी मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन की सभी परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण द्वारा नियुक्त रिजोल्यूशन प्रोफेसनल द्वारा परिसमाप्त कर दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।